

## SCs व STs के वरिद्ध अत्याचार पर रपिर्ट

### प्रलिस के लयः

[सरवोच्च नयायालय](#), [अनुसूचतः जातः](#), [अनुसूचतः जनजातः](#), [अग्रमः जमानतः](#), [वशःष अदालतें](#)

### मेन्स के लयः

अनुसूचतः जातः और अनुसूचतः जनजातः (अत्याचार नवारण) अधनःयःम, 1989, नीतःयः के डजःइन और कारःयानःवयन से उत्पन्न मुदःदे

[स्रोतः द हदः](#)

### चरःचा में कःयों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचतः जातः और अनुसूचतः जनजातः (अत्याचार नवारण) अधनःयःम, 1989 के तहत एक रपिर्ट जारी की है , जसःमें वर्ष 2022 में अनुसूचतः जातःयों के खलःाफ अत्याचार की स्थतःतः पर प्रकाश डाला गया है ।

### अनुसूचतः जातःयों और अनुसूचतः जनजातःयों के वरिद्ध अत्याचार पर रपिर्ट के मुखःय नषःकःर्ष कःया हैं?

- **केस संबन्धी आँकडे:** वर्ष 2022 में [अनुसूचतः जातःयों \(SCs\)](#) के खलःाफ अत्याचार के 51,656 मामले और [अनुसूचतः जनजातःयों \(STs\)](#) के खलःाफ 9,735 मामले दर्ज कये गए । उल्लेखनीय है कः अनुसूचतः जातःयों (SCs) के 97.7% मामले और अनुसूचतः जनजातःयों (STs) के 98.91% मामले सरःर्फ 13 राजःयों में केंद्रतः थे ।
- **सरःवाधिक घटनाओं वाले राजःयः**
  - अनुसूचतः जातःयों के लयः: नमःनलखःतः 6 राजःयों में कुल मामलों का लगभग 81% हसःसा दर्ज कयःा गया ।
    - उत्तर प्रदेश: 12,287 मामले (23.78%)
    - राजस्थान: 8,651 मामले (16.75%)
    - मध्य प्रदेश: 7,732 मामले (14.97%)
    - अन्य राजःयः: बहःार 6,799 (13.16%), ओडःशा 3,576 (6.93%), और महाराष्ट्र 2,706 (5.24%) ।
  - अनुसूचतः जनजातःयों के लयः:
    - मध्य प्रदेश: 2,979 मामले (30.61%)
    - राजस्थान: 2,498 मामले (25.66%)
    - ओडःशा: 773 मामले (7.94%)
    - अन्य राजःयः: 691 मामले के साथ महाराष्ट्र (7.10%) और 499 मामले के साथ आंध्र प्रदेश (5.13%) ।
- **चारःज शीट और जाँच :**
  - अनुसूचतः जातः से संबन्धतः मामले: अनुसूचतः जातः से संबन्धतः 60.38% मामलों में चारःज शीट दायर की गई , जबकः झूठे दावों या सबूतों की कमी जैसे कारणों से 14.78% मामलों में ही अंतमः रपिर्ट दी जा सकी ।
  - अनुसूचतः जनजातः से संबन्धतः मामले: अनुसूचतः जनजातः से संबन्धतः 63.32% मामलों में चारःज शीट दायर की गई, जबकः 14.71% मामलों में अंतमः रपिर्ट प्रसूत की गई ।
  - वर्ष 2022 के अंत तक, अनुसूचतः जातःयों से जुड़े 17,166 मामले और अनुसूचतः जनजातःयों से जुड़े 2,702 मामले अभी भी जाँच के अधःन थे ।
- **दोषसदःधःर (Conviction Rates):**
  - अधनःयःम के तहत दोषसदःधःर 2020 में 39.2% से घटकर 2022 में 32.4% हो गई है , जो नःयायकः परणःामों में चतःाजनक प्रवृत्तः को दर्शाता है ।
- **बुनयःादी ढाँचे की कमयःाँ:**
  - 14 राजःयों के 498 जःतःलों में से केवल 194 जःतःलों ने अनुसूचतः जातःयों और अनुसूचतः जनजातःयों के वरिद्ध अत्याचारों के मुकदमों के

त्वरति नपिटान के लयि वशिष अदालतें स्थापति की हैं।

- अत्याचारों से ग्रस्त वशिषिट ज़िलों की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की गई है, उत्तर प्रदेश में अत्याचारों से ग्रस्त कसिी भी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है, जबकि वहाँ सबसे अधिक मामले हैं।

■ संरक्षण प्रकोषट:

- आंध्र प्रदेश, असम, बहिर, गुजरात, तमलिनाडु आदि सहति वभिनिन राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के साथ-साथ दलिी, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासति प्रदेशों में एससी/एसटी संरक्षण प्रकोषट स्थापति कयि गए हैं।


//

## Atrocities on Dalits, tribal people

The chart shows the States accounting for 97.7% of total cases of atrocities against members of Scheduled Castes during the year 2022.



Source: Ministry of Social Justice and Empowerment



## अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के खलिफ अपराध के क्या कारण हैं?

- जातगित पूरवाग्रह और असपृश्यता: गहरी जड़ें जमाए हुए जातगित पदानुक्रम भेदभावपूरण प्रथाओं को कायम रखते हैं, जहाँ एससी/एसटी समुदायों को प्रायः "नमिन" माना जाता है और उनकी जनम-आधारति जातगित पहचान के कारण सामाजकि बहषिकार और हसिा का शकिार होना पडता है।
- भूमि विविद और अलगाव: ऐतहिसकि रूप से भूमि स्वामतिव से वंचति, अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति समुदायों को भूमि तिक पहुँच को लेकर नरिंतर संघर्ष का सामना करना पडता है, जिसके कारण प्रमुख जातयिों के साथ विविद होता है।
- आर्थकि रूप से वंचति होना: शकिषा, रोज़गार और आर्थकि संसाधनों तक सीमति पहुँच के कारण अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति समूहों की सुभेदयता बढ जाती है, जिससे वे प्रभुत्वशाली समुदायों द्वारा शोषण और हसिा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- सामाजकि और राजनीतकि शक्ति का असंतुलन: प्रभावशाली उच्च जातयिों प्रायः असंगत राजनीतकि और सामाजकि प्रभाव रखती हैं, जिससे वे कानूनी परिणामों के भय के बिना भेदभावपूरण प्रथाओं को बनाए रखने में सक्षम हो जाती हैं।
- कानून का अपर्याप्त करयानवयन: यदयपि इन समुदायों की सुरक्षा के लयि एससी/एसटी (अत्याचार नविरण) अधनियिम जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन कमजोर प्रवर्तन, पुलिस और नौकरशाही पूरवाग्रह के साथ मलिकर प्रायः जाति-आधारति हसिा के पीडितों के लयि न्याय में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- राजनीतकि अवसरवादति: कभी-कभी राजनीतकि नेतृत्वकर्त्ता चुनावी लाभ के लयि जातगित तनाव को बढा देते हैं, जिससे समुदायों के बीच धरुवीकरण और संघर्ष में वृद्धि होती है।

## अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियिम, 1989 क्या है?

- परिचय: अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियिम, 1989, जिससे SC/ST अधनियिम 1989 के रूप में भी जाना जाता है, एससी और एसटी के सदस्यों को जाति-आधारति भेदभाव और हसिा से बचाने के लयि अधनियिमति कयि गया था।
- उद्देश्य:
  - इस अधनियिम का उद्देश्य संवधिान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 की रक्षा करना, वंचति समुदायों की सुरक्षा करना तथा नागरकि अधिकार संरक्षण अधनियिम, 1955 जैसे पछिले कानूनों की कमयिों को दूर करना है।
- ऐतहिसकि संदर्भ: यह अधनियिम असपृश्यता (अपराध) अधनियिम, 1955 और नागरकि अधिकार संरक्षण अधनियिम, 1955 पर आधारति है, जो जाति के आधार पर असपृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लयि स्थापति कयि गए थे।
- नयिम और कारयानवयन:
  - यह केंद्र सरकार को अधनियिम के कारयानवयन के लयि नयिम बनाने हेतु अधिकृत करता है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्रशासति प्रदेश

केंद्रीय सहायता से इसे लागू करते हैं।

#### ■ प्रमुख प्रावधान:

- अपराध: **SC/ST अधिनियम** सदस्यों के खिलाफ शारीरिक हर्षा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव सहित वशिष्ट अपराधों को परभाषित करता है। यह इन कृत्यों को "अत्याचार" के रूप में मान्यता देता है और अपराधियों के लिये भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसमें अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है) के तहत कठोर दंड निर्धारित करता है।
- अग्रिम जमानत: अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अधिनियम, 1989 की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (जिसमें अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है) की धारा 438- **जो अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है**, के कार्यान्वयन पर रोक लगाती है।
- विशेष न्यायालय: अधिनियम में त्वरित सुनवाई के लिये **विशेष न्यायालयों की स्थापना** और अधिनियम के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में राज्य स्तर पर **अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात संरक्षण प्रकोष्ठों** की स्थापना का आदेश दिया गया है।
- जाँच: अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिये और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिये।
- राहत और मुआवज़ा: इस अधिनियम में **पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने** का प्रावधान है, जिसमें वित्तीय मुआवज़ा, कानूनी सहायता और सहायक सेवाएँ शामिल हैं।

■ **बहिष्करण:** यह अधिनियम अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के बीच हुए अपराधों को कवर नहीं करता है; इनमें से कोई भी एक-दूसरे के खिलाफ अधिनियम को लागू नहीं कर सकता है।

#### ■ हालिया संशोधन:

- अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार नविवरण) संशोधन अधिनियम, 2015:
  - इस संशोधन ने अपराध की परिभाषा का विस्तार किया, जिसमें हाथ से मैला ढोने के लिये मजबूर करना, सामाजिक बहिष्कार, यौन शोषण और अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात की महिलाओं को देवदासी बनाना जैसे कृत्य शामिल हैं।
  - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कृत्यों का पालन करने में विफल रहने वाले लोक सेवकों को भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
- अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार नविवरण) संशोधन अधिनियम, 2018:
  - इसने किसी आरोपी को गरिफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप बना पूर्व मंजूरी के तत्काल गरिफ्तारी की अनुमति मिल गई।

## अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात (अत्याचार नविवरण) अधिनियम, 1989 से संबंधित नरिणय

- **कनुभाई एम. परमार बनाम गुजरात राज्य, 2000:** गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह अधिनियम अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच एक-दूसरे के विरुद्ध किये गए अपराधों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके समुदाय से बाहर के व्यक्तियों द्वारा किये गए अत्याचारों से बचाना है।
- **राजमल बनाम रतन सहि, 1988:** पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SC एवं ST अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय, विशेष रूप से अधिनियम से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिये नामित हैं, जो उन्हें नियमित मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालयों से अलग करता है।
- **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमलिनाडु राज्य, 2011:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SC/ST समुदाय के किसी सदस्य का अपमान करना भी SC और ST अधिनियम के तहत अपराध है।
- **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2018:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत प्रावधानों का बहिष्कार पूर्ण प्रतिबंध नहीं है अर्थात् न्यायालय ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दे सकता है, जहाँ अत्याचार या उल्लंघन के आरोप झूठे/निरिधार प्रतीत होते हैं।
- **2024:** इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात से संबंधित किसी व्यक्ति पर नरिदेशित प्रत्येक अपमानजनक या डराने/धमकाने वाली टिप्पणी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार नविवरण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है।

## आगे की राह

- **वधिकि ढाँचे को सुदृढ़ करना:** समय पर सुनवाई और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिये विशेष अदालतों के लिये आधारिक संरचना में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, SC/ST मामलों के संवेदनशील तथा प्रभावी निपटान हेतु कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
- **रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों पर नज़र रखने के लिये बेहतर रिपोर्टिंग और नगिरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित प्रतिशोध के भय के बिना घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें।
- **जागरूकता और शिक्षा:** अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात के अधिकारों और अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये।
- **लक्षित हस्तक्षेप:** अत्याचार-प्रवण ज़िलों की पहचान कर इनकी घोषणा करने तथा इन क्षेत्रों में जात-आधारित हर्षा के मूल कारणों को दूर करने के लिये लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने की आवश्यकता है।
- **नगिरानी और मूल्यांकन:** कार्यान्वयन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों से निपटने में जवाबदेही तथा नरितर सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक सशक्त नगिरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

- गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: पीड़ितों को समर्थन प्रदान करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज समूहों के साथ साझेदारी कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी मांगों पर विचार किया जाए।

#### दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के वरिद्ध नरितर हो रहे अत्याचारों के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कतिना प्रभावी है?

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न. सवतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रतभिदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिकि पहलें क्या हैं ? (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/report-on-atrocities-against-scs-and-sts>

